

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 144.

सोमवार, 04 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

ईएसआईसी अस्पतालों में लाभार्थियों की संख्या

144. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:  
डॉ. भारतीबेन डी. शियाल:  
श्री प्रभूभाई नागरभाई वसावा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों ईएसआई में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई के लाभार्थियों के इलाज के लिए और निजी अस्पतालों में उनके इलाज हेतु आधुनिक तकनीकी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और
- (घ) सरकार द्वारा आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने और गुजरात के विभिन्न कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई अस्पतालों/दवाखानों में चिकित्सकों/परा-चिकित्सक स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ समन्वय करके क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

गुजरात सहित राज्यों में ईएसआईसी अस्पतालों में आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरण लाने के लिए उठाए गए कदम में अन्य के साथ-साथ 300 बिस्तरों से कम बिस्तर क्षमता वाले अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए

जारी/पृष्ठ--2

शक्तियों का प्रत्यायोजन 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये प्रति उपकरण तथा 300 और उससे अधिक बेड क्षमता वाले अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के लिए, 50 लाख रुपये से से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये प्रति उपकरण कर दिया गया है, ईएसआई लाभार्थियों को सरकारी/निजी अस्पतालों के साथ टाई-अप के माध्यम से सुपर स्पेशियलिटी उपचार भी प्रदान किया जाता है।

एक नई आईसीटी पहल के रूप में, ईएसआईसी ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरेलू दवा वितरण और लाभार्थियों के लिए घरेलू नमूना संग्रह के लिए एक एएए ऐप शुरू किया है। ई-संजीवनी, पीएमजेवाई के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम संस्थाओं में चिकित्सा अधिकारियों/पराचिकित्सीय स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। गुजरात सहित राज्य सरकारों से विभिन्न कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में डाक्टरों/पराचिकित्सीय स्टाफ के पदों को भरने के लिए अनुरोध किए गए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 18-19 जून, 2022 को अपनी बैठक में विभिन्न राज्य सरकार द्वारा संचालित ईएसआई योजना (ईएसआईएस) अस्पतालों के लिए पूर्णकालिक विशेषज्ञ/सुपर विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानदंडों के अनुसार स्वीकृत संख्या के अनुसार जनशक्ति का स्तर बनाए रखें।

\*

\*\*\*\*\*

'ईएसआई अस्पतालों में लाभार्थियों की संख्या' के संबंध में डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा, डॉ. भारतीबेन डी. श्याल और श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा दिनांक 04.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| क्र. सं. | राज्य   | लाभार्थी         |                  |                  |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|
|          |   | 2020-21          | 2021-22          | 2022-23          |
| 1        | 2   | 3                | 4                | 5                |
| 1        | आंध्र प्रदेश  | 4927328          | 4723590          | 5109650          |
| 2        | असम और मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा और मणिपुर और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश | 1245053          | 1164078          | 1289945          |
| 3        | बिहार   | 1345080          | 1392842          | 1595495          |
| 4        | चंडीगढ़   | 560311           | 505176           | 547895           |
| 5        | छत्तीसगढ़   | 2035603          | 1966190          | 2162712          |
| 6        | दिल्ली  | 5869431          | 5153882          | 5480034          |
| 7        | गोवा  | 838546           | 669882           | 757027           |
| 8        | गुजरात  | 6925179          | 6087332          | 6603605          |
| 9        | हरियाणा   | 9741749          | 8999738          | 9895203          |
| 10       | हिमाचल प्रदेश   | 1423611          | 1343101          | 1428189          |
| 11       | जम्मू एवं कश्मीर  | 528417           | 477085           | 522248           |
| 12       | झारखंड  | 1693892          | 1651406          | 1917535          |
| 13       | कर्नाटक   | 12782194         | 11497294         | 12665639         |
| 14       | केरल  | 3994964          | 3667609          | 3934048          |
| 15       | मध्य प्रदेश   | 4134838          | 3751960          | 4312077          |
| 16       | महाराष्ट्र  | 18148545         | 15483101         | 17287301         |
| 17       | ओडिशा   | 2923968          | 2877253          | 3563586          |
| 18       | पुडुचेरी और माहे  | 446510           | 405538           | 421290           |
| 19       | पंजाब   | 4903195          | 4719748          | 4954527          |
| 20       | राजस्थान  | 5572456          | 5185154          | 5752837          |
| 21       | सिक्किम   | 109067           | 109959           | 110270           |
| 22       | तमिलनाडु और एएन द्वीप समूह  | 14847208         | 13814003         | 15603032         |
| 23       | तेलंगाना  | 6911793          | 6068824          | 6752830          |
| 24       | उत्तर प्रदेश  | 9717033          | 9178373          | 10371822         |
| 25       | उत्तराखंड   | 2559403          | 2345693          | 2577212          |
| 26       | पश्चिम बंगाल  | 7421780          | 7121003          | 7457942          |
|          | <b>अखिल भारत</b>  | <b>131607156</b> | <b>120359812</b> | <b>133073951</b> |